

**निविदा सूचना**

कुम0वि0नि0लि0 नैनीताल में पंजीकृत सिविल भवन सम्बन्धी कार्य करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 28.04.2021 को अपराह्न 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समुख गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 12.04.2021 से दिनांक 27.04.2021 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी निगम में किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है, तथा निविदा में किसी भी प्रकार का संसोधन भी निगम वेबसाईड के माध्यम से ही किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि (रु०)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन)
<b>निर्माण खण्ड</b>						
1.	मुनस्यारी डेरिस्टनेशन के अन्तर्गत लिलम कैम्प का विकास कार्य।	1180.00	11000.00	08 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
2.	मुनस्यारी डेरिस्टनेशन के अन्तर्गत रिलकोट कैम्प का विकास कार्य।	1180.00	20000.00	08 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
3.	मुनस्यारी डेरिस्टनेशन के अन्तर्गत बुगडियार कैम्प का विकास कार्य।	1180.00	19500.00	08 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
4.	मुनस्यारी डेरिस्टनेशन के अन्तर्गत मरतोली कैम्प का विकास कार्य।	1180.00	15000.00	08 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
5.	मुनस्यारी डेरिस्टनेशन के अन्तर्गत बुफु कैम्प का विकास कार्य।	1180.00	15500.00	08 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
6.	अकादमी परिसर, नैनीताल में आर्टिफिशियल बॉल के निर्माण हेतु फाउन्डेशन का कार्य।	1180.00	18000.00	02 माह	02 माह	"डी" एवं उच्चतर
7.	स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान के अन्तर्गत नैनीताल नगर क्षेत्र के अन्तर्गत रनोव्यू में हिमालय दर्शन, व्यू प्वाइंट, पहुँच मार्ग, सेल्फी प्वाइंट एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण।	1770.00	35000.00	04 माह	02 माह	"सी" एवं उच्चतर
8.	विधायक निधि, हल्द्वानी के अन्तर्गत बार काउन्सिलिंग भवन के प्रथम तल का कार्य।	1770.00	40,000.00	02 माह	01 माह	"सी" एवं उच्चतर
9.	सूखाताल कापट सेन्टर में "विद्युतीकरण" का कार्य।	1770.00	24000.00	02 माह	01 माह	"सी" एवं उच्चतर
10.	नई दिल्ली (बाराखम्भा) में स्थित उत्तराखण्ड पर्यटन कार्यालय में नवीनीकरण का कार्य।	1770.00	40000.00	02 माह	04 माह	"सी" एवं उच्चतर
11.	पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय चम्पावत में बाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	1180.00	12000.00	02 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
<b>निर्माण खण्ड (ई निविदा)</b>						
12.	नारायण नगर में मल्टी स्टोरी "कार पार्किंग" का निर्माण कार्य।	उक्त से सम्बन्धित सूचना	www.uktenders.gov.in	में देखी जा सकती है।		
13.	प0आ0गृह, कौरानी में कक्षा का उच्च्यकरण का कार्य।	उक्त से सम्बन्धित सूचना	www.uktenders.gov.in	में देखी जा सकती है।		

**शर्तः-** किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं [www.kmvtv.in](http://www.kmvtv.in) में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई संसोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईड के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी।

निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

- 1-निविदा केवल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र कय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा सम्बन्धित कार्य की धरोहर धनराशि निर्धारित प्रारूप में एफ0डी0आर0 के रूप में महाप्रबन्धक, कुम0वि0नि0 के नाम बन्धक होनी चाहिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2-निविदादाता को जी0एस0टी0, आयकर प्रमाण पत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3-निविदा के साथ रु० 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रु० 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 4-अपूर्ण, सशत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 5-निविदा में मात्रार्थे घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6-अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- 7-अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 8-अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।
- 9-निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96 लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्रावधानों अनुसार की जायेगी।
- 10-यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 11-सभी कार्या में निगम पर धन उपलब्धताअनुसार ही कार्य करवाये जायेंगे।
- 12-निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

(कमराः)

नियंत्रण कक्षा

- 13-निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी, जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।
- 14-ठेकेदार द्वारा चरोंदर राशि के रूप में जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि अलग-अलग कार्यों हेतु मूल में अलग-अलग जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
- 15-कम संख्या (09) के कार्य हेतु ठेकेदार को विद्युत विभाग में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय कुमरौं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल  
पत्रांक 73/10-नि0/20-21 दिनांक 9 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- ~~महा प्रबन्धक~~ को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2-सहायक अभियन्ता, नैनीताल/पिथौरागढ़/चम्पावत/बागेश्वर को शैड्यूल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित।
- 3-समस्त सहायक अभियन्ता, कुमा0वि0नि0, अल्मोड़ा/उधम सिंह नगर को व्यापक प्रचार हेतु।
- 4-अधिसासी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल/पिथौरागढ़/चम्पावत/बागेश्वर को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चर्या हेतु।
- 5-मुख्यालय गोरिश बोर्ड में चर्या हेतु।
- 6-अनुबन्ध पत्रावली हेतु।
- 7-कंशियर निर्माण खण्ड, निविदा विक्रय के समय निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8-कम्प्यूटर कक्ष को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक